

आदेश की क्रम सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

11.10.19

न्यायालय, अपर समाहर्ता-सह-आर्बिट्रेटर, धनबाद

आर्बिट्रेशन केश नं०-34/2019

मानिक चन्द्र अड्डी

-बनाम्-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा-राजाभिठा उर्फ राजगंज, थाना नं०-198, खाता नं०-130, प्लॉट नं०-1088, रकवा-0.1750 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ-2 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा अर्जित भूमि एवं उसपर निर्मित संरचनाओं के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थ विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक के आवेदन पत्र तथा अधिवक्ता के माध्यम से होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि उक्त अर्जित भूमि का पंचाट वादी के नाम से बना है। वादी के लिए तैयार पंचाट में दिया गया मूल्यांकन दर मान्य नहीं है। उक्त मौजा में भूमि का मूल्य 28,571.00 रु० प्रति डी० के दर से बिक्री हुआ है। आवेदक द्वारा उचित मूल्यांकन कर ब्याज सहित भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है तथा अर्जित भूमि/संरचना का मुआवजा राशि नियमानुसार गणना कर सही भुगतान किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद/NHAI वास्तविकता की जाँच करते हुए निर्धारित दर पर अर्जित भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचनाओं का पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि यदि आवेदक को देय हो तो नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता

-सह-

आर्बिट्रेटर धनबाद।

अपर समाहर्ता

-सह-

आर्बिट्रेटर धनबाद।